सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2023 / 295(12 / 2023) दर्ज तिथिः–24.08.2023

1. प्रभुराम पुत्र पुरखाराम
2. निम्बाराम पुत्र पुरखाराम
3. गंगाराम पुत्र पुरखाराम
4. उकाराम पुत्र पनाराम
5. जीवाराम पुत्र पनाराम
6. भैराराम पुत्र पनाराम
7. खीन्दाराम चौधरी पुत्र पनाराम
8. कचाराराम पुत्र प्रेमाराम
9. सांवलाराम चौधरी पुत्र लुम्बाराम
   जाति कलबी निवासी प्रेमनगर तहसील गुड़ामालानी–बाड़मेर

......................प्रार्थीगण

बनाम

1. आसाराम पुत्र अचलाराम फौत के कायम मुकाम
   1 / 1 हेमाराम पुत्र आसाराम
   1 / 2 ठाकरीराम पुत्र आसाराम
   1 / 3 पूनमाराम पुत्र आसाराम
   1 / 4 मथरा पत्नी आसाराम
2. प्रभुराम पुत्र अचलाराम
   जाति पुरोहित निवासी लुम्बावास तहसील गुड़ामालानी–बाड़मेर

........................असल विप्रार्थीगण

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी–बाड़मेर।

..........................तकमीली विप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री मोहनलाल विश्नोई
अप्रार्थीगणः–श्री जगदीश विश्नोई

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–251ए
राजस्थान काश्तकारी अधि.–1955

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.11 16:37:46 IST
Reason: SelfAttested

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—11.07.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—'क' के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी 21/2.9380 है0 वाके ग्राम प्रतापगढ तहसील गुड़ामालानी में पहुँच के प्रयोजन के लिए मौके पर खसरा संख्या 20/4.3220 है0 वाके ग्राम प्रतापगढ तहसील गुड़ामालानी से होते खसरा संख्या 20 वाके ग्राम प्रतापगढ के पूर्वी भाग पर ग्रेवल सड़क तक चालू है। उक्त विद्यमान रास्ते में विप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 20 वाके ग्राम प्रतापगढ में से प्रार्थीगण के आवागमन हेतु रिकॉर्डेड रास्ते का अभाव है। अतः खसरा संख्या 20 वाके ग्राम प्रतापगढ के उत्तरी भाग से होकर करीब 30 फीट चौडाई का नवीन रिकॉर्डेड रास्ता हेतु अनुतोष चाहा गया है। अंत में प्रार्थी की आराजीयात तक कोई रिकॉर्डेड रास्ता दर्ज रिकॉर्ड नहीं है तथा उक्त आवेदित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई लघुत्तम मार्ग का विकल्प नहीं होने के कारण उक्त आवेदित रास्ते को करीब 30 फुट चौडाई में रिकॉर्ड में दर्ज कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रकरण में अप्रार्थी के जवाब एवं तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही करते हुए हाजा न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.08.2024 द्वारा प्रार्थी का उक्त आवेदन पत्र खारिज किया गया। तत्तश्चात् प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन की अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर में प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर द्वारा उक्त अपील आंशिक स्वीकार की गई। तत्पश्चात् अप्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर के निर्णय दिनांक 29.08.2024 से व्यथित होकर माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर के निर्णय दिनांक 29.08.2024 के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर में निगरानी पेश की गई। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा उक्त निगरानी दिनांक 04.07.2025 को स्वीकार की जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रेषित करते हुए स्वयं पीठासीन अधिकारी के मौका निरीक्षण एवं मौके की भौतिक स्थिति का परीक्षण एवं जांच करते हुए प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—251ए तथा राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम—1955 के नियम—69 एवं 70 की पूर्णतया पालना करते हुए गुणावगुण पर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने के निर्देश दिये गये। प्रकरण पुनः दर्ज किया जाकर विचारण आरम्भ किया गया।

जवाब

3. प्रार्थना पत्र पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण के विधिवत तामील होने के उपरांत विप्रार्थी संख्या 2 ने जरिये अधिवक्ता पूर्व में पेश जवाब के तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया है कि खसरा संख्या 20 वाके ग्राम प्रतापगढ में कोई चलित रास्ता नहीं आया हुआ है तथा प्रार्थीगण द्वारा उक्त खसरे में से कभी भी चलायमान रास्ते का उपयोग नहीं किया गया है। प्रार्थीगण की विप्रार्थीगण से हमेशा अनबन रहने के कारण उक्त खसरे में से रास्ते की मांग की गई है। प्रार्थीगण को उक्त रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.11 16:37:46 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तावित रास्ते पर विप्रार्थी की पक्की ढाणी बनी हुई है। साथ ही प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 528/85 किस्म गै.मु. वाला जो कि गैर मुमकिन नदी का हिस्सा है, तक पहुंचने हेतु प्रार्थी की खातेदारी से होकर रास्ता चाहा गया है। चूंकि गैर मुमकिन नदी प्रतिबंधित भूमि है। जिस पर जाने हेतु प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते की मांग प्रार्थीगण को परेशान करने के उद्देश्य से की गई है। साथ ही प्रार्थी का आवागमन हमेशा से खसरा संख्या 19/1 से होकर रहा है। अतः प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने तथा प्रतिबंधित भूमि तक प्रार्थी को परेशान करने की वजह से रास्ता मांगने के आधार पर उक्त आवेदन पत्र खारिज फरमाया जावे।

मौका रिपोर्ट

4. प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी से हाजा कार्यालय के पत्रांक/कोर्ट/आरए/2024/182 दिनांक 11.03.2024 द्वारा राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम–1955 के नियम–68 लगायत 70 के अनुसार मौका जॉच रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/कोर्ट/आरए/2024/1189 दिनांक 09.05.2024 द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रेषित की। जो कि शामिल मिसल की गई। प्रकरण में दिनांक 22.05.2025 को स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया।

जिरह–प्रार्थी

5. प्रकरण में विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण की जिरह सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने–ए–जिरह प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थी की आराजीयात तक कोई रिकॉर्डेड रास्ता दर्ज रिकॉर्ड नहीं है तथा उक्त आवेदित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई लघुत्तम मार्ग का विकल्प नहीं होने के कारण उक्त आवेदित रास्ते को करीब 30 फुट चौडाई में रिकॉर्ड में दर्ज कर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

जिरह–अप्रार्थी

6. अभिभाषक विप्रार्थीगण ने दौराने–ए–जिरह अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यांकित आवश्यकता नहीं होने के कारण प्रार्थना–पत्र को निम्न आधारों पर निरस्त फरमाने का निवेदन कियाः–
    1. प्रार्थी के पूर्व से ही वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। क्योंकि प्रार्थी का आवागमन हमेशा से खसरा संख्या 19/1 से होकर रहा है। अतः प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के आधार पर प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे।
    2. प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता नहीं है। क्योंकि प्रार्थी का आवागमन हमेशा से खसरा संख्या 19/1 से होकर रहा है। अतः प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के कारण प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता आत्यांतिक नहीं होकर प्रार्थी द्वारा केवल सुविधा के लिये रास्ता चाहा गया है। अतः उक्त आधार पर प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे।
    3. प्रार्थी द्वारा केवल सुविधा के लिये प्रतिबंधित भूमि गैर मुमकिन नदी की खसरा संख्या 528/85 वाके ग्राम प्रतापगढ तक पहुंचने हेतु प्रार्थी के खातेदारी आराजी में से होकर रास्ता चाहा गया है। प्रतिबंधित भूमि गैर मुमकिन नदी की खसरा संख्या 528/85 वाके ग्राम प्रतापगढ में से होकर कोई रिकॉर्डेड रास्ता दर्ज रिकॉर्ड नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा आवेदित रास्ता किसी भी कट्टाण मार्ग से

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.11 16:37:46 IST
Reason: SelfAttested

नहीं जुड़ रहा है। जिससे कि प्रार्थी वास्तव में रास्ते का उपयोग कर सके। प्रार्थी द्वारा यह नहीं बताया गया है कि प्रार्थी अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 20 से आगे कहां जाना चाहता है।

4. प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते पर अप्रार्थीगण द्वारा पूर्व से ही निर्माण किया हुआ है। अतः अप्रार्थीगण की रहवास आदि से होकर प्रार्थी को रास्ता दिया जाना कानूनन गलत है।

कानूनी—प्रावधान

7. प्रकरण में प्रार्थना पत्र के साथ तहसीलदार की मौका—रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—'क' का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है जो कि इस प्रकार है—

> ***251A. Laying of underground pipeline or opening a new way through another khatedar's holding or enlarging the existing way.*** *- (1) Where -*
>
> *(a) a tenant intends to lay an underground pipeline through the holding of another khatedar for the purpose of irrigation of his holding; or*
>
> *(b) a tenant or a group of tenants intend to have a new way, or enlargement or widening of an existing way, through the holding of another khatedar to have access to his holding or, as the case may be, their holdings of and the matter is not settled by mutual agreement, the tenant or the tenants, as the case may be, may apply for such facility to the Sub-Divisional Officer concerned, and the Sub-Divisional Officer, if he is satisfied after a summary inquiry, that*
>
> *(i) <u>the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding</u>; and*
>
> *(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that <u>absence of alternative means of access proved</u> may, be order, allow the applicant, to lay pipeline, at least three feet beneath the surface of the land, along 'the line demarcated or pointed out by the tenant who holds that land, or to have a new way. not wider than thirty feet, through the land on such track as pointed out by the tenant who holds that land, and if no such track is pointed out, <u>through the shortest or nearest route,</u> or to enlarge or widen the existing way, not exceeding up to thirty feet, on payment of such compensation as may be determined by the Sub-Divisional Officer, in the prescribed manner, to the tenant who holds the land through which the right to lay pipeline or have a new way or enlarge or widen an existing way is granted <u>or in lieu of payment of compensation, on transfer of land in exchange of equal area in the name of such tenant</u> <u>**preferably**</u> <u>having the same price and adjoining to his land.</u>*
>
> *(2) Where a right to have a new way or enlarge or widen an existing way is granted under sub-section (1), the tenancy in respect of the land comprising such way shall be deemed to*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.11 16:37:46 IST
Reason: SelfAttested

have been extinguished and the land shall be recorded as rasta in the revenue records.

(3) The persons permitted to avail any of the facilities referred to in sub-section (1) shall not, by virtue of the said facility, acquire any other right in the holding through which such facility is granted.

5. इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—'क' के प्रावधानों की क्रियान्विति हेतु बनाये गये राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम—1955 के नियम—68 लगायत 70 का उद्धरण करना यहां प्रासंगिक प्रतीत होता है जो कि इस प्रकार है—

68. Application under Sec. 251-A. *- An application for grant of permission under sub-sec. (1) of 251-A of the Act shall be in Form 1.*

69. Enquiry and disposal of application. *- On receipt of an application in Form I, the Sub-Divisional Officer shall either inspect the site himself or get it inspected by an officer not below the rank of the Inspector Land Records and invite objections from the affected persons. The Sub-Divisional Officer after affording an opportunity of being heard to the parties and making such further enquiry, as he thinks necessary, if satisfied that-*

(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and

(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access is proved, may allow the application. The application shall be decided by the Sub-Divisional Officer within 90 days from the date of application.

70. Determination of compensation. *- (1) The amount of compensation payable under sub-sec. (1) of Sec. 251-A of the Act, shall be determined in the following manner:-*

(i) if the parties mutually agree on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer, shall determine the amount of compensation as per the mutual agreement.

(ii) if the parties do not agree mutually on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer shall determine the amount of compensation for the land equivalent to-

(a) two times of the rates recommended by the District Level Committee constituted under clause (b) of sub-rule (D of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of a new way or enlargement or widening of an existing way; and

(b) 10% of the rates recommended by the District Level Committee; constituted under clause (b) of sub-rule (1) of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.11 16:37:46 IST
Reason: SelfAttested

Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of laying underground pipeline.

(2) In addition to the value of land determined under clause (a) or (b) of sub-rule j (1), if any loss or damages caused due to removal of standing trees, crops or structure, the amount of actual loss or damages shall also be determined.

विश्लेषण

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम–1955 के नियम–68 लगायत 70 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा 251–क के अन्तर्गत कोई खातेदार अपनी खातेदारी आराजी तक कृषि कार्य बाबत् आमद–रफत हेतु अन्य खातेदारों की खातेदारी आराजी में से होकर कुछ शर्तों के अधीन नवीन रास्ता रिकार्डेड अंकित करवा सकता है। इस हेतु उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क निम्न पूर्वशर्तो को आरोपित करती है जो इस प्रकार है–

1. *प्रार्थी हेतु रास्ते बाबत् अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति।*
2. *खातेदार की रास्ते बाबत् आत्यान्तिक आवश्यकता।*
3. *लघुत्तम दूरी का नवीन मार्ग के विकल्प का प्रस्ताव।*

वैकल्पिक रास्ते की अनुपलब्धता

7. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–251–क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम–1955 के नियम–68 लगायत 70 द्वारा अध्यारोपित उक्त पूर्वशर्तो के तहत प्रकरण का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। सर्वप्रथम प्रथम शर्त *प्रार्थी हेतु रास्ते बाबत् अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति* का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। उक्त प्रावधान के अंतर्गत सर्वप्रथम यह देखा जाना आवश्यक है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु कोई रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है अथवा नहीं। उक्त शर्त के विश्लेषण में निम्न तीन स्थितियां सामने आती हैंः–

1. प्रथम स्थिति में अगर प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु कोई रिकॉर्डेड रास्ता पूर्व से उपलब्ध है और उक्त रिकॉर्डेड रास्ता मौके पर चालू है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को उक्त रिकॉर्डेड रास्ते से ही आवागमन करना चाहिए। इस स्थिति में उक्त आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

2. द्वितीय स्थिति में अगर प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु कोई रिकॉर्डेड रास्ता पूर्व से उपलब्ध है और उक्त रिकॉर्डेड रास्ता मौके पर अतिक्रमण की वजह से चालू नहीं है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को उक्त रिकॉर्डेड रास्ते को मौके पर अतिक्रमण हटवाकर चालू करवाने के लिये संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही करते हुए अनुतोष प्राप्त करना चाहिए। इस स्थिति में उक्त आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।
3. तृतीय स्थिति में अगर प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु कोई रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है तो उस स्थिति में प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को प्रथम शर्त को पुष्ट मानते हुए द्वितीय शर्त पर परखा जाना चाहिए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.11 16:37:46 IST
Reason: SelfAttested

8. उक्त प्रकरण में प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या—1 में अन्य वैकल्पिक रास्ते की अनुपलब्धता का जिक्र किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब में उक्त शर्त के तथ्य का कोई खण्डन करते हुए कथन किया है कि प्रार्थीगण खसरा संख्या 19 / 1 वाके ग्राम प्रतापगढ से होकर आवागमन करते रहे हैं। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक / कोर्ट / आरए / 2024 / 1189 दिनांक 09.05.2024 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट में का उद्धरण यहां प्रासंगिक है जो कि इस प्रकार हैः—

प्रार्थी की आराजी के चारों ओर मौके पर रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज नहीं है।

प्रकरण में राजस्व ग्राम प्रतापगढ के राजस्व नक्शे में प्रासंगिक भाग के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता दर्ज रिकॉर्ड नहीं है। इस प्रकार प्रकरण उक्त तृतीय स्थिति के अंतर्गत आता है एवं शर्त संख्या 01 की पूर्णरूप से पुष्टि प्रतीत होती है।

रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता

9. प्रथम शर्त की पुष्टि पश्चात् द्वितीय शर्त *खातेदार की रास्ते बाबत् आत्यान्तिक आवश्यकता* का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। उक्त प्रावधान के अंतर्गत यह देखा जाना आवश्यक है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु वास्तव में रास्ते की आवश्यकता केवल सुविधाजनक नहीं होकर आवश्यकता आत्यांतिक है। उक्त शर्त के विश्लेषण में निम्न तीन स्थितियां सामने आती हैंः—

1. प्रथम स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता पूर्व से ही दर्ज रिकॉर्ड / कट्टाण रास्ते / सड़क से आरम्भ होकर प्रार्थी की आराजी तक नवीन रास्ता चाहा गया है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा पूर्व से ही दर्ज रिकॉर्ड एवं विद्यमान / मौके पर चालू रास्ते से आगे अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु रास्ता चाहा गया है। इस स्थिति में प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु वास्तव में रास्ते की आवश्यकता केवल सुविधाजनक नहीं होकर आवश्यकता आत्यांतिक प्रतीत होती है। उक्त स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र द्वितीय शर्त की पुष्टि करता प्रतीत होता है।

2. द्वितीय स्थिति में प्रार्थी द्वारा पूर्व से ही प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंचने वाले लेकिन रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होकर केवल मौके पर चालू कदीमी रास्ते / सड़क को धारा—251—ए के तहत विद्यमान मौके पर चालू कदीमी रास्ते / सड़क की चौड़ाई या विस्तारित चौड़ाई के रास्ते पर नवीन रिकॉर्डेड रास्ता चाहा गया है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा पूर्व से ही विद्यमान / मौके पर चालू रास्ते को ही रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु रास्ता चाहा गया है। इस स्थिति में प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु वास्तव में रास्ते की आवश्यकता केवल सुविधाजनक नहीं होकर आवश्यकता आत्यांतिक प्रतीत होता है। उक्त स्थिति में भी प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र द्वितीय शर्त की पुष्टि करता प्रतीत होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.11 16:37:46 IST
Reason: SelfAttested

3. तृतीय स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता पूर्व से ही दर्ज रिकॉर्ड/कट्टाण रास्ते/सड़क से कोई संबंध नहीं रखता है तथा प्रार्थी द्वारा केवल एक या एक से अधिक खसरों से होकर नवीन रास्ता चाहा गया है। ऐसी स्थिति में प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु सम्पूर्ण रास्ते को रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु अनुतोष नहीं चाहा गया है। यहां यह संशय उत्पन्न होता है कि प्रार्थी द्वारा गलत मंशा से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस स्थिति में प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु वास्तव में रास्ते की आवश्यकता केवल सुविधाजनक है। उक्त स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र द्वितीय शर्त की पुष्टि नहीं करता प्रतीत होता है।

10. उक्त प्रकरण में प्रार्थना–पत्र के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कहीं भी रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता का जिक्र नहीं किया गया है। साथ ही अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब में उक्त शर्त के तथ्य का खण्डन करते हुए प्रार्थी द्वारा अन्य खातेदारों की खातेदारी आराजी से होकर वैकल्पिक इंतजाम किये जाने का कथन किया है। इस बाबत् अप्रार्थी द्वारा उक्त कथन के संबंध में प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 19/1 से होकर वैकल्पिक इंतजाम किये जाने वाले रास्ते के मार्ग के संबंध में कथन प्रस्तुत किया है। प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/कोर्ट/आरए/2024/1189 दिनांक 09.05.2024 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट में भी रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता का जिक्र नहीं किया गया है। उक्त प्रकरण में राजस्व ग्राम प्रतापगढ के राजस्व नक्शे में प्रासंगिक भाग के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता दर्ज रिकॉर्ड नहीं है। प्रार्थी द्वारा गैर मुमकिन वाला किस्म के भाग खसरा संख्या 528/85 किस्म गैर मुमकिन वाला तक पहुंचने हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 20 वाके ग्राम प्रतापगढ से रास्ता चाहा है।

11. प्रकरण में पत्रावली व तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/कोर्ट/आरए/2024/1189 दिनांक 09.05.2024 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा गैर मुमकिन नदी प्रतिबंधित किस्म के भाग खसरा संख्या 528/85 किस्म गैर मुमकिन वाला तक पहुंचने हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 20 वाके ग्राम प्रतापगढ से रास्ता चाहा गया है।

12. प्रकरण में पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं मौका निरीक्षण से ज्ञात हुआ कि प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 21 में मौके पर रिकॉर्डेड रास्ते का अभाव है। प्रार्थी द्वारा अपने आवेदन में प्रार्थी की आराजी से आगे अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 20 से होते हुए गै0मु0 वाला के किनारे मौके पर अवस्थित ग्रेवल सड़क तक नवीन रिकॉर्डेड रास्ते हेतु अनुतोष चाहा है। उक्त गै0मु0 वाला में मौके पर ग्रेवल सड़क बनी हुई है तथा मौके पर उक्त सड़क चालू है। प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर अवस्थित नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थी की आराजी तक पहुंच हेतु रिकॉर्डेड रास्ते की अनुपलब्धता होने के आधार पर प्रार्थी को उक्त रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है। चूंकि प्रकरण में मौके पर गै0मु0 वाला किस्म में मौके पर सार्वजनिक सड़क चालू है। जिससे प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी तक आवागमन करता आ रहा है। साथ ही खसरा संख्या 20 में रास्ते हेतु प्रस्तावित भाग के किनारे पर अप्रार्थी संख्या 02 की ढाणी अवस्थित है। उक्त ढाणी का निर्माण हाल ही में किया गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.11 16:37:46 IST
Reason: SelfAttested

13. प्रकरण में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण द्वारा उपस्थित न्यायालय होकर राजीनामा प्रस्तुत कर निम्न प्रकार निवेदन कियाः–

- *कि अप्रार्थीगण की आराजी के सीमांकन के पश्चात् अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 20 में प्रार्थीगण का अवैध कब्जा पाया जाता है तो उक्त कब्जा अप्रार्थीगण को दिलाते हुए खसरा संख्या 20 में से रास्ता प्रदान किये जाने पर अप्रार्थीगण सहमत हैं।*
- *कि अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 20 में से रास्ता दिये जाने पर रास्ते में आई भूमि के बदले बराबर भूमि अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की भूमि में से दिलवाई जाने पर अप्रार्थीगण रास्ता दिये जाने हेतु सहमत हैं।*
- *कि प्रार्थीगण को दिये जाने वाले रास्ते के दोनों तरफ प्रार्थीगण द्वारा अपने खर्चे पर तारबंदी किये जाने की शर्त पर अप्रार्थीगण उक्त रास्ता दिये जाने हेतु सहमत हैं।*
- *कि प्रार्थीगण को खसरा संख्या 20 में से दिये जाने वाला रास्ता चौड़ाई में 18 फिट से अधिक नहीं हो। साथ ही उक्त रास्ता तहसीलदार मौका रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित खसरा संख्या 20 एवं 19/1 की सीमा से दिये जाने पर प्रार्थीगण सहमत हैं।*
- *कि उक्त रास्ते के आदेश के पश्चात् प्रार्थीगण के रास्ते की तरमीम व अप्रार्थीगण की आराजी पर किये गये अवैध कब्जे की तरमीम एक ही दिन की जाकर अप्रार्थीगण की आराजी पर किये गये अवैध कब्जे को प्रदान कर प्रार्थीगण को रास्ता खसरा संख्या 20 एवं 19/1 के सेढासेढ दिये जाता है तो अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है।*

14. प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा उक्त बिन्दु में वर्णित राजीनामा अनुसार प्रार्थीगण को रास्ता प्रस्तावित किये जाने पर सहमति व्यक्त की है। उक्त बिन्दुओं पर प्रार्थीगण द्वारा सहमति प्रदान की गई। अतः पक्षकारान सहमति के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

निष्कर्ष

15. उक्त प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क के विधिक प्रावधानों के सन्दर्भ में प्रार्थीगण हेतु रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ते हेतु अनुपलब्धता एवं तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित शामिल मिसल रिपोर्ट पत्रांक / कोर्ट / आरए / 2024 / 1189 दिनांक 09.05.2024 को प्रेषित की गई मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा एवं पक्षकारान सहमति के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क काबिल–ऐ स्वीकार है। अतः तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित शामिल मिसल रिपोर्ट पत्रांक / कोर्ट / आरए / 2024 / 1189 दिनांक 09.05.2024 की मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुसार खसरा संख्या 20 के सेढे से हरे रंग से अंकित कर प्रस्तावित लघुत्तम मार्ग बतौर 30 फुट चौडा गैर मुमकिन रास्ता नियमानुसार भूमि एवं निर्माण, अगर कोई हो तो, की क्षतिपूर्ति राशि भुगतान तथा भूमि उपलब्ध करवाने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.11 16:37:46 IST
Reason: SelfAttested

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तहसीलदार गुड़ामालानी की पत्रांक/कोर्ट/आरए/2024/1189 दिनांक 09.05. 2024 को प्रेषित की गई मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अवलोकन पश्चात विश्लेषित निष्कर्ष प्रार्थीगण हेतु रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ते हेतु अनुपलब्धता के आधार पर स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेश दिये जाते है कि पत्रांक/कोर्ट/आरए/2024/1189 दिनांक 09.05.2024 की मौका जॉच रिपोर्ट में आराजी हाल खसरा संख्या 20 मौजा प्रतापगढ में अंकित प्रस्ताव में इंगित हरे रंग से प्रदर्शित लम्बाई एवं प्रार्थी द्वारा निवेदित चौडाई, जो कि अधिकतम 30 फुट से कम हो, के रास्ते में आयी भूमि के समान रकबे की भूमि खसरा संख्या 20 के सेढासेढ प्रार्थी की खातेदारी के खसरा संख्या 21 में से कम करते हुए अप्रार्थी की खातेदारी आराजी के खसरा संख्या 20 में दर्ज करते हुए उक्त नवीन रास्ते को खाता संख्या–1 सिवायचक में सार्वजनिक उपयोग हेतु किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर अंकन किया जावें। पत्रांक/कोर्ट/आरए/2024/1189 दिनांक 09.05. 2024 की मौका जॉच रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 11.07.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.11 16:37:46 IST
Reason: SelfAttested